

पत्रांक- 2018/ 1 सी0 वन

दिनांक .16/ 12/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

विषय-

Minutes of the Fortnightly Regional Coordination Meeting (FRCM) held on 25.11.2022 के कार्यवृत्त में सम्मिलित जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्बर-सुमल्टा मोटर मार्ग के कि०मी० 8.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.881 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण हेतु चर्चा के सम्बन्ध में। (Online No- FP/UK/ROAD/146204/2021)

सन्दर्भ-

आपका पत्रांक संख्या 2924/12-1 दिनांक 15.12.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से डिम्बर-सुमल्टा मोटर मार्ग पर दिनांक 25.11.2022 को हुयी एफ०आर०सी०एम० की बैठक में चोही गयी सूचना इस प्रकार है:-

क्र०सं०	प्रश्न	औचित्य
	The user agency along with the DFO presented the proposal in the meeting. The KML file of the proposed road was observed in the meeting and it was seen that there is an existing road on the northern side of the beneficiary village Koladungri. It was apprised that the observation in this regard was also conveyed to the State Government. The user agency informed that the proposed road will connect the village with the market and also provide connectivity with the Junior High School of Koladungri hence the proposed road is Justifiable. <i>After detailed discussion, it was decided that the User Agency shall submit a detailed justification of the proposed in view of existing norms and all the concerned infrastructure viz. Local market, school, etc. Shall be on the KML in the online portal.</i>	1- लाभान्वित गाँव कोलाडुंग्री के ऊपर उत्तर दिशा में स्थित मोटर मार्ग (कर्णप्रयाग-नैनीसैण मोटर मार्ग) से गाँव कोलाडुंग्री की ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी 150 मीटर से अधिक है। उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 8167/111(2)/18-15 (सामान्य) /2018 दिनांक 31.12.2018 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भू-गर्भीय संरचना के दृष्टिगत मार्ग से 100 मी० की ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी पर स्थित ग्राम मोटर मार्ग से संयोजित माना जाय के अनुसार भी उक्त गाँव जिसकी कर्णप्रयाग-नैनीसैण मोटर मार्ग से ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी 150 मीटर से अधिक है, मोटर मार्ग से संयोजित नहीं है अर्थात् उक्त गाँव को मोटर मार्ग से संयोजित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि ऊपर उत्तर दिशा में स्थित कर्णप्रयाग-नैनीसैण मोटर मार्ग से लाभान्वित गाँव कोलाडुंग्री हेतु मार्ग के प्रारम्भ में पड़ने वाली भूमि ग्राम विडोली एवं ग्राम फलोटा से सम्बन्धित है जिसके भूस्वामियों द्वारा मार्ग निर्माण हेतु किये जा रहे सर्वे का विरोध किया गया एवं विभाग को अपनी भूमि न देने सम्बन्धित आपत्ति पत्र प्रेषित किया गया (आपत्ति पत्र संलग्न)। चूँकि ग्राम विडोली एवं फलोटा पूर्व में ही मोटर मार्ग पर स्थित है एवं विषयगत मोटर मार्ग से इन गाँवों को कोई लाभ न होने के कारण इस मोटर मार्ग का विरोध किया जा रहा है। अवगत कराना है कि यदि उक्त मोटर मार्ग से लाभान्वित होने वाले गाँव को जोड़ा भी जाता है तो भी 1:18-1:20 के Longitudinal Grade पर मार्ग की लम्बाई लगभग 3.00 कि०मी० से भी अधिक की आवश्यकता होती, जो कि स्वीकृत संरक्षण (डिम्बर-सुमल्टा मोटर मार्ग के कि०मी० 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक) की लम्बाई 2.225 कि०मी० से ज्यादा है। इसके अतिरिक्त ऊपर स्थित

आपके द्वारा सुझाये गये Alignment में Hill site cutting के दौरान गाँव नीचे होने के कारण गाँव को खतरा उत्पन्न हो सकता है जो कि तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है जबकि स्वीकृत संरेखण में कोई H.P. Bend नहीं है।

2- ग्राम सभा कोलाडुंग्री का एकमात्र जूनियर हाईस्कूल कोलाडुंग्री, ग्राम सुमल्टा में स्थित है। उक्त स्वीकृत संरेखण पर मोटर मार्ग निर्माण से ग्राम कोलाडुंग्री के बच्चों को उक्त स्कूल पहुँचने में सुविधा होगी। चूकि स्थल को जोड़ जाना Obeliganatory Point है एवं आपके द्वारा सुझाये गये Alignment से स्कूल वंचित रह जायेगा। (KML file में दर्शा दिया गया है)

3- ग्राम सभा कोलाडुंग्री का प्राथमिक विद्यालय भी ग्राम सुमल्टा में स्थित है। उक्त स्वीकृत संरेखण पर मोटर मार्ग निर्माण से ग्राम कोलाडुंग्री के बच्चों को उक्त स्कूल पहुँचने में सुविधा होगी। चूकि स्थल को जोड़ जाना Obeliganatory Point है एवं आपके द्वारा सुझाये गये Alignment से स्कूल वंचित रह जायेगा। (KML file में दर्शा दिया गया है)

4- लाभान्वित गाँव का मुख्य बाजार सिमली है, जहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 गुजरता है। स्वीकृत संरेखण पर मार्ग का निर्माण होने से लाभान्वित गाँव मात्र 8 कि०मी में राष्ट्रीय राजमार्ग से संयोजित हो जायेगा। जबकि कर्णप्रयाग-नैनीसैण मोटर मार्ग से उक्त मोटर मार्ग निर्माण से मुख्य बाजार कर्णप्रयाग की दूरी लगभग 17 कि०मी० एवं सिमली की दूरी 24 कि०मी० आयेगी। (KML file में दर्शा दिया गया है)

5- लाभान्वित ग्राम सभा कोलाडुंग्री के अन्तर्गत ग्राम सुमल्टा एवं बांगडी आते हैं तथा चुनाव में मतदान स्थल का निर्माण लाभान्वित ग्राम कोलाडुंग्री में किया जाता है। स्वीकृत संरेखण पर मार्ग के निर्माण हो जाने से ग्राम सुमल्टा एवं ग्राम बांगडी के मतदाताओं विशेषकर वृद्ध एवं दिव्यांग जनो को मतदेय स्थल पर पहुँचने में सुविधा होगी।

6- लाभान्वित गाँव कोलाडुंग्री में इस क्षेत्र का पोस्ट आफिस स्थित होने के कारण क्षेत्रीय जनता को स्वीकृत संरेखण पर मार्ग निर्माण से पोस्ट आफिस पहुँचने में सुविधा प्राप्त होगी।

7- स्वीकृत संरेखण पर हरियाली घनत्व मात्र 0.3 है तथा कुल प्रभावित वृक्षों की संख्या 121 है जिसमें से 118 वृक्ष चीड़ के हैं। अतः यह संरेखण घने वन से न गुजर कर एक विरल क्षेत्र गुजरता है। जिसमें अधिकतर चीड़ के वृक्ष हैं। स्वीकृत Alignment ही तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त है।

अवगत कराना है कि दिनांक 26.11.2022 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपके साथ उक्त प्रस्तावित Alignment का स्थलीय निरीक्षण करा दिया गया है एवं Obeliganatory Points का अवलोकन भी करा दिया गया है। मोटर मार्ग की KML File में महत्वपूर्ण Obeliganatory Point जैसे राजकीय जूनियर हाईस्कूल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पोस्ट ऑफिस एवं स्थानीय बाजार सिमली दर्शा दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि स्वीकृत Alignment पर पड़ने वाली वन भूमि पर मोटर मार्ग निर्माण हेतु अनुमति देने की कृपा करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय
अधिशिक्षा आयोग
निर्माण खण्ड, लो०/वि० गौचर

प्रेषक,

एसओएसओ टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण विभाग-2

देहरादून दिनांक : 3/ दिसम्बर, 2018

विषय:

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण की योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु नीति का प्रख्यापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण की योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने तथा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभागीय वार्षिक आय-व्ययक में प्राविधानित बजट को विभिन्न योजनाओं/मदों में विभाजित किये जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त एतद्वारा निम्नवत नीति तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है :-

- (i) राज्य मार्गों, मुख्य जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों के मानकानुसार नवीनीकरण हेतु वर्तमान स्थिति के सापेक्ष लगभग 25% घनराशि पृथक से प्रत्येक वार्षिक बजट में प्राविधानित की जाय।
- (ii) सड़क सुरक्षा हेतु वार्षिक बजट के आकार की 5% एवं पुलों के निर्माण तथा रख-रखाव के लिये वार्षिक बजट के आकार की 15% घनराशि वार्षिक बजट में प्राविधानित की जाय।
- (iii) वार्षिक बजट की शेष घनराशि लगभग 85% नवनिर्माण एवं ग्रामीण मार्ग/हल्का वाहन मार्ग/वार्षिक अनुसंधान के लिए प्राविधानित की जाय।
- (iv) राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मार्ग से 100 मीटर की ऊर्ध्वाक्ष (Vertical) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से स्वतः ही संयोजित माना जाय।
- (v) जिन ग्रामों/आबादियों को किसी न किसी मार्ग से सड़क संयोजकता पूर्व से ही सुलभ हो, उन ग्रामों/आबादियों को अतिरिक्त/दोहरी मार्ग संयोजकता सामान्यतः प्रदान न की जाय।
- (vi) राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये 05 किमी० से अधिक लम्बाई के मोटर मार्गों को स्वीकृति हेतु द्वितीय चरण में प्रस्तावित न किया जाय, वरन् अधिक लम्बाई वाले ऐसे मोटर मार्गों को एक एक करके (One by one) विभिन्न चरणों में स्वीकृति प्रदान की जाय।
- (vii) ऐसे मार्गों को, जो कि राज्य मार्ग या अन्य जिला मार्ग की श्रेणी में नहीं हैं तथा जिनमें प्रतिदिन यातायात 400 भारी वाहन से कम है, को बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा न किया जाय।
- (viii) समस्त आबादी वाले मार्गों के मुख्य मार्गों में निर्माण हेतु edge to edge ब्लॉक/इन्टरलॉकिंग सी०सी० टाईल्स अथवा Brick on Edge तथा पक्की गाली निर्माण

- (ix) मुख्यमंत्री आन्तरिक सम्पर्क योजना के तहत 500 मी० से अधिक लम्बाई एवं 4.25 मी० से अधिक चौड़ाई के मोटर मार्गों तथा 20 मीटर से अधिक लम्बाई के सेतुओं के निर्माण हेतु मा० विधायकों की प्राथमिकता वाले प्रस्तावों को लिया जायेगा। 02 लेन से कम चौड़ाई वाले मार्गों को सी०सी० के स्थान पर इन्टरलॉकिंग टाइल्स से किया जाय, जो M-40 से कम नहीं होगी।
- (x) MORTH के परिपत्र संख्या : NH-15017/28/2018-P&M दिनांक 23.03.2018 के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 PCUs प्रतिदिन से अधिक परन्तु 8000 PCUs से कम यातायात होने पर Intermediate lane (5.50 m) का प्राविधान, 10000 से अधिक PCUs यातायात होने पर 02 लेन अर्थात् 07 मी० कैरिज वे का निर्माण एवं 10000 से अधिक PCUs तथा 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक Traffic Growth पर 07 मी० कैरिज वे Paved Shoulder के साथ मार्ग निर्माण का प्राविधान किया जाय।
- (xi) नये मोटर मार्गों के लिए सामान्य अनुरक्षण कार्यों हेतु कार्य समाप्ति के defect liability period सहित 03 वर्ष तक के लिये अनुबन्ध में ही यह प्राविधान कर दिया जाए कि मोटर मार्गों का अनुरक्षण भी सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा प्रथम वर्ष हेतु कुल लागत का 0.5 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.00 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.5 प्रतिशत की दरों पर किया जाय। इस अवधि में सामान्य अनुरक्षण मद से कोई धनराशि आवंटित नहीं की जायेगी।
- (xii) पैदल/झूला सेतुओं के निर्माण में Carriage way की चौड़ाई 1.80 मी० तक सीमित रखी जाय। ग्रामीण मार्गों में नदी पर 02 किमी० से कम दूरी पर दूसरा सेतु निर्मित न किया जाय।
- (xiii) सामान्यतः Single lane में निर्मित होने वाले Steel bridges के अन्तर्गत 57 मी० स्पान तक Modular bridges का निर्माण किया जाय, जिन्हें कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर Two lane अथवा किसी भी सीमा तक Multi lane में विस्तारित किया जा सके।
- (xiv) प्रदेश में रु० 10.00 करोड़ से अधिक लागत तथा 60 मी० से अधिक स्पान के सेतुओं को E.P.C. (Engineering Procurement Construction) Mode के माध्यम से करवाया जाय। विश्व बैंक परियोजनाओं के लिये यह प्राविधान उनकी सहमति पर ही लागू होंगे अन्यथा नहीं।
- (xv) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत ऐसे निर्माण कार्यों, जिनकी वनभूमि की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने, स्थानीय स्तर पर विवाद होने या अन्य कारणों से श्रमिक/सामग्री की दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप पूर्व स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव न हो, की पुनरीक्षित स्वीकृति को प्राथमिकता प्रदान की जाय।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-378/XXVII(2)/2018 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

आपात्ति प्रमाण पत्र

हम समस्त ग्रामवासी फलोद्या ग्राम पंचायत मुखतोली
ग्राम कौलाडुंगरी के ग्रामवासियों द्वारा फलोद्या से —
कौलाडुंगरी तक मोटर मार्ग हेतु अनुरोध किया गया
था, जिसमें कि हमारी कृषि भूमि एवं जंगल पूरी तरह
से प्रभावित हो रहे हैं तथा मोटर मार्ग निर्माण होने से
जोंव को खतरा बना रहेगा, जिससे समस्त ग्रामवासी
फलोद्या वालों को घोर आपात्ति है।

शंजैन्द्रसिंह	—
यसवीर सिंह	—
मनवीर सिंह	—
दलवीर सिंह	—
पुष्कर सिंह	—
हरिसिंह	—
नरेन्द्र सिंह	—
देवेन्द्र सिंह	—
जसवंत सिंह	—
दलीप सिंह	—
जीवेंद्र सिंह	—



प्रधान

ग्राम पंचायत कनखुल तल्ला

विकासखण्ड- कर्णप्रयाग

जनपद- चमोली (उत्तराखण्ड)

शशीकला तोपाल

ग्राम नं. पो. कनखुल तल्ला

मो. 9634607181, 7248079946

Ref:-

आपालि प्रमाण पत्र

Date:

हम समस्त ग्रामवासी विडोली तल्ला वालों को
विडोली - कोलाडुगरी भोटर मार्ग का सर्वे हो रहा
था। इसमें हमारी कृषि भूमि पूरी तरह से
अभावित हो रही है। जिस पर समस्त ग्रामवासियों
को घोर आपालि है।

दि १५/०८/२०१६

समस्त ग्रामवासी
विडोली तल्ला

महाशिव सिंह

दामोदर सिंह

रमेश कुमार राणा

मेम सिंह -

दिनेश सिंह

रमेश सिंह -

नन्दा सिंह -

विमल सिंह

